14.07.17

श्री एन.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर आरोपी तिलक सिंह की ओर से प्रकरण में अर्थदंड की राशि जमा करने हेतु आवदेन पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदन विचारोपरांत स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया। आरोपी तिलक सिंह की ओर से अर्थदण्ड की राशि रुपए 12000 जमा किए जो रशीद क्रमांक 52 पर जमा किया गया। रशीद दी गयी। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण का सार अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद